(वाद सं0– 6655/4/17/2022)

08.09.2023

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, दिवाकर यादव, उपस्थित नहीं है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, दिवाकर यादव (सेवानिवृत्त पु0अ0नि0) को खगड़िया जिला के गोगरी थाना के पु0अ0नि0 विनित कुमार एवं अन्य के द्वारा मारपीट करने तथा घर के महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा उसकी गर्भवती पुत्री को धक्का देकर गंभीर रूप से घायल कर देने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, खगड़िया** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **पुलिस अधीक्षक, खगड़िया** के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित **अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी** के प्रतिवेदनानुसार, एक गगन कुमार, के लिखित आवेदन के आधार पर परिवादी के पुत्र, सूर्यकान्त कुमार, सहित 06 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 कीधाराओं–448/447/341/323/325/385/307/379/504/506/34 के अन्तर्गत गोगरी थाना काण्ड संख्या–132/2020, दिनांक–27.04.2020 संस्थित किया गया है। उक्त काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता, गोगरी थाना के पु0अ0नि0 विनित कुमार है। उपरोक्त काण्ड के एक अभियुक्त (परिवादी के पुत्र, सूर्यकान्त कुमार) को गिरफ्तार करने हेतु दिनांक–17.08.2022 को 11:00 बजे रात्रि में पुलिस द्वारा परिवादी के घर पर छापामारी किया गया। गिरफ्तारी के दौरान परिवादी द्वारा गिरफ्तारी में सहयोग नहीं किया गया तथा उल्टे परिवादी एवं उनके परिवार के सदस्य के लोग पु0अ0नि0 विनित कुमार, से उलझ गये तथा गाली–गलौज करते हुए धक्का–मुक्की करने लगे तथा परिवादी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा छापामारी दल के सदस्यों को ही घर के एक कमरा में बंद कर दिया गया। इस घटना की सूचना पु0अ0नि0 विनित कुमार के द्वारा फोन के माध्यम से पु0अ0नि0 रंजीत कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, गोगरी थाना को दिया गया। इसके पश्चात् थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, द्वारा पु0अ0नि0 विनित कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया गया। प्रतिवेदन में परिवादी दिवाकर यादव, द्वारा उनकी पत्नी एवं पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा मारपीट कर जख्मी करने का लगाये गये

आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी एवं उनके परिवार के सदस्य अभियुक्त सूर्यकान्त कुमार, के बचाव में छापामारी दल से उलझ गये थें। परिवादी द्वारा अपने पुत्र, सूर्यकान्त कुमार, के बचाव में वरीय पुलिस पदाधिकारी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को दिग्भ्रमित करने के लिए यह आवेदन दिया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों का पुनः समर्थन किया गया है तथा उनका कथन है कि इस घटना में उनकी गर्भवती पुत्री को गंभीर चोट आयी थी, जिसका ईलाज रेफरल अस्पताल गोगरी में कराया गया, जहाँ ईलाज से वह असंतुष्ट होने पर उसने अपनी पुत्री का ईलाज निजी अस्पताल में कराया। परिवादी की ओर से अपनी पुत्री की ईलाज से सम्बन्धित कागजातों की प्रति अनुलग्नित की गई है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि "No Visible External Bleeding".

तत्पश्चात राज्य आयोग द्वारा परिवादी को अपने मामले के समर्थन में समस्त साक्ष्यों के साथ राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन परिवादी राज्य आयोग के समक्ष अपने मामले के समर्थन में उपस्थित नहीं हुए।

अब जबकि एक आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विधिवत कार्रवाई की गई है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन पृष्ठ 24–18/प0 की प्रति) के साथ संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>